रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2565] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941
No. 2565] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/ SHRAVANA 15, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2019

का. आ. 2819(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला लखीसराय के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	-अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखीसराय	-सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, लखीसराय	-सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुंगेर प्रमंडल, लखीसराय	-सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, लखीसराय	-सदस्य;
(vi)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	डिविज़नल वन पदाधिकारी, लखीसराय	-सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	डॉ. सुरेश शरण, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय	-सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बढ़हिया	-सदस्य;

(iii)	ग्राम पंचायत मुखिया-खुटहा पश्चिमी, बढ़हिया, लखीसराय	-सदस्य;
(iv)	प्रो.सुभाशीष राय, रसायनशास्त्र विभाग, कार्यानन्द स्मारक शर्मा महाविद्यालय, लखीसराय (पर्यावरणविद)	-सदस्य;
(v)	प्रो.बिपिन राय, रसायनशास्त्र विभाग, कार्यानन्द स्मारक शर्मा महाविद्यालय, लखीसराय (पर्यावरणविद)	-सदस्य;
(vi)	श्री सूरज साह, उद्योग संघ के प्रतिनिधि,लखीसराय (उद्योगपति)	-सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2819(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Lakhisarai of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate , Lakhisarai	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Lakhisarai	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Lakhisarai	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Munger Division, Lakhisarai	- Member;
(v)	Executive Engineer, Rural Works Department, Lakhisarai	- Member;
(vi)	Representative of Bihar Pollution Control Board	- Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Lakhisarai	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Dr. Suresh Sharan, Medical Officer, Sadar Hospital, Lakhisarai	- Member;
(ii)	Executive Officer, City Council, Badhahiya	- Member;
(iii)	Gram Panchayat Mukhiya- Khutaha West, Badhahiya, Lakhisarai	- Member;
(iv)	Professor Subhashish Rai, Chemistry Science, Karyanand Smarak Sharma Mahavidyalay, Lakhisarai (Environmentalist)	- Member;

(v)	Professor Bipin Rai, Chemistry Science, , Karyanand Smarak Sharma Mahavidyalay, Lakhisarai (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Suraj Shah, Representative of Industry Association, Lakhisarai (Industrialist)	- Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2019

का. आ. 2820(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला सारण के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, सारण	-अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छपरा	-सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, छपरा	-सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सारण	-सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, छपरा	-सदस्य;
(vi)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, से प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण	-सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण	-सदस्य;
(ii)	आयुक्त नगर निगम, छपरा	-सदस्य;
(iii)	मुखिया, ग्राम पंचायतराज, मुस्सेपुर प्रखण्ड-सदर, छपरा	-सदस्य;
(iv)	डॉ.अरुण कुमार सिंह, व्याख्याता भौतिकी, राजेंद्र कॉलेज, छपरा	-सदस्य;
(v)	डॉ.राकेश प्रसाद, व्याख्याता जन्तु विज्ञान, जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ,छपरा	-सदस्य;
(vi)	श्री पवन कुमार अग्रवाल, पुरानी गुड़हट्टी, साहिबगंज, छपरा	-सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Saran of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate , Saran	-	Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Chhapara	-	Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Chhapara	-	Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Saran	-	Member;
(v)	Executive Engineer, Rural Works Division-1, Chhapara	-	Member;
(vi)	Representative of Bihar Pollution Control Board	-	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Saran	-	Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Director, District Rural Development Agency, Saran	-	Member;
(ii)	Municipal Commissioner, Chhapara	-	Member;
(iii)	Mukhiya Gram Panchayat Raj, Mussepur, Block –Sadar, Chhapara	-	Member;
(iv)	Dr. Arun Kumar Singh, Lecturer Physics, Rajendra College, Chhapara	-	Member;
(v)	Dr. Rakesh Prasad, Lecturer Zoology, Jai Prakash Narayan Vishwavidhyalay, Chhapara	-	Member;
(vi)	Shri Pawan Kumar Agrawal, Purani Gudhatti, Sahibganj, Chhapara	-	Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

का. आ. 2821(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला खगड़िया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	-अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग,	-सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग,	-सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खगड़िया	-सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,	-सदस्य;
(vi)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, से अभियंता/प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	प्रमंडलीय वन अधिकारी, खगड़िया	-सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	उप विकास आयुक्त , खगड़िया	-सदस्य;
(ii)	मुखिया- ग्राम पंचायत राज, रामपुर	-सदस्य;
(iii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया	-सदस्य;
(iv)	श्री नवीन कुमार, शिक्षक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर उच्च विद्यालय, खगड़िया (पर्यावरणविद)	सदस्य;
(v)	श्री जयंत कुमार, शिक्षक, उच्च विद्यालय , मेहसौड़ी, खगड़िया (पर्यावरणविद)	-सदस्य;
(vi)	श्री अशोक सरदार, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स, खगड़िया	-सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2821(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Khagaria of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate , Khagaria	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	- Member;
(v)	Executive Engineer, Rural Works Department	- Member;
(vi)	Engineer/Representative of Bihar Pollution Control Board	- Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Khagaria	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Deputy Development Commissioner, Khagariya	- Member;
(ii)	Head, Gram Panchayat Raj, Rampur	- Member;
(iii)	Executive Officer, City Council, Khagaria	- Member;
(iv)	Shri Naveen Kumar, Teacher, Jan Nayak Karpuri Thakur High School, Khagaria (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri Jayant Kumar, Teacher, High School, Mehsauri, Khagaria (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Ashok Sardar, Chairman, Chamber of Commerce, Khagaria	- Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Adm.) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2019

का. आ. 2822(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला मुंगेर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	-अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, मुंगेर	-सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, मुंगेर	-सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर	-सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुंगेर	-सदस्य;

(vi) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, से अभियंता/प्रतिनिधि -सदस्य;

(vii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर -सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i) उप विकास आयुक्त , मुंगेर -सदस्य;

(ii) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुंगेर -सदस्य;

(iii) मुखिया, ग्राम पंचायत महुली सदर प्रखण्ड, मुंगेर -सदस्य;

(iv) श्री अमित शेखर, प्रतिनिधि, गंगाजलि, मुंगेर (पर्यावरणविद) -सदस्य;

(v) श्री अशोक पटेल, गंगा महासभा, छोटी केलाबाड़ी, मुंगेर (पर्यावरणविद) -सदस्य;

(vi) शाखा प्रबन्धक, आई.टी.सी., मुंगेर (उद्योगपति) -सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Munger of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i) District Magistrate , Munger - Chairperson;

(ii) Executive Engineer, Building Construction Department, Munger - Member;

(iii) Executive Engineer, Irrigation Department, Munger - Member;

(iv) Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Munger Division, Munger - Member;

(v) Executive Engineer, Rural works division, Munger - Member;

(vi) Engineer/Representative of Bihar Pollution Control Board - Member;

(vii) Divisional Forest Officer, Munger -Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i) Deputy Development Commissioner, Munger - Member;

(ii) Executive Officer, Municipal Corporation, Munger - Member;

(iii) Mukhiya Gram Panchayat Raj, Mahuli Sadar Division, Munger - Member;

(iv) Shri Amit Shekhar, Representative, Gangajali, Munger (Environmentalist) - Member;

(v) Shri Ashok Patel, Ganga Mahasabha, Small Kelabadi, Munger (Environmentalist) - Member;

(vi) Branch Manager, ITC, Munger (Industrialist) - Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2019

का. आ. 2823(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला समस्तीपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर -अध्यक्ष;

(ii) कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण प्रमंडल, समस्तीपुर -सदस्य;

(iii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, समस्तीपुर -सदस्य;

(iv) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर -सदस्य;

(v) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर -सदस्य;

(vi) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी -सदस्य;

(vii) जिला वन पदाधिकारी, समस्तीपुर -सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i) उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर -सदस्य;

(ii) मुखिया, ग्राम पंचायत राज, हेतनपुर, पटोरी -सदस्य;

(iii) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर -सदस्य;

(iv) डॉ. मनमोहन झा, प्रोफेसर जन्तु विज्ञान, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर (पर्यावरणविद) सदस्य;

(v) श्री अरुण कुमार चौधरी, प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, राम निरीक्षण आत्मा राम कॉलेज, समस्तीपुर (पर्यावरणविद) -सदस्य;

(vi) श्री राम गोपाल सुरेखा, उद्योगपति, अमृत पशु आहार, समस्तीपुर -सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Samastipur of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate , Samastipur	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Samastipur	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Samastipur	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Department, Samastipur	- Member;
(v)	Executive Engineer, Rural Works Department , Work Circle-I, Samastipur	- Member;
(vi)	Engineer/Representative of Bihar Pollution Control Board,	- Member;
(vii)	District Forest Officer, Samastipur	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Deputy Development Commissioner, Samastipur	- Member;
(ii)	Mukhiya, Gram Panchayat Raj, Hetanpur, Patori	- Member;
(iii)	Executive Officer, City Council, Samastipur	- Member;
(iv)	Dr. Madanmohan Jha, Professor Zoology, Samastipur College, Samastipur (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri Arun Kumar Chaudhary, Professor Botany, Ram Nirikshan Atma Ram College, Samastipur (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Ramgopal Sureka, Industrialist, Amrit Pashu Aahar	- Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Adm.) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 2019

का. आ. 2824(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रकाशित अधिसूचना (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला भागलपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	- अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर	- सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	- सदस्य;
(iv)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पूर्वी भागलपुर	-सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर	-सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद,, बेगूसराय	- सदस्य;
(vii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर	-सदस्य व संयोजक;

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	निदेशक, लेखा प्रशासन स्व नियोजन, भागलपुर	-सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुल्तानगंज	-सदस्य;
(iii)	मुखिया, ग्राम पंचायत मदरौनी, रंगरा चौक	-सदस्य;
(iv)	डॉ. सुनील चौधरी, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान, भागलपुर (पर्यावरणविद)	-सदस्य;
(v)	डॉ. सुनील अग्रवाल, सचिव मंदार नेचर क्लब, भागलपुर (पर्यावरणविद)	-सदस्य;
(vi)	श्री प्रदीप झुनझुनवाला, अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, भागलपुर (उद्योगपति)	-सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, उक्त अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशा.) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bhagalpur of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

(A) Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate , Bhagalpur	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Housing Division, Bhagalpur	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bhagalpur	- Member;
(iv)	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, East Bhagalpur	- Member;
(v)	Executive Engineer, Rural works Department, Bhagalpur	- Member;
(vi)	Regional officer, Bihar Pollution Control Board, Begusarai	- Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Bhagalpur	- Member and Convenor;

(B) Nominated Members:

(i)	Director, Lekha Prashasan Swa Niyojan, Bhagalpur	- Member;
(ii)	Executive Officer City Council, Sultanganj	- Member;
(iii)	Mukhiya, Gram Panchayat Madrauni, Rangara Chowk	- Member;
(iv)	Dr. Sunil Chaudhari, Department Head, Postgraduate Botany, Bhagalpur (Environmentalist)	- Member;
(v)	Shri Sunil Agrawal, Secretary, Mandar Nature Club, Bhagalpur (Environmentalist)	- Member;
(vi)	Shri Pradeep Jhunjhunwala, Chairman Industries Association, Bhagalpur (industrialist)	- Member.

2. The nominated members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Adm.) National Mission for Clean Ganga

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.